इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 21001:2018 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 18 | अंक संख्या 9 | मार्च, 2026 | पृष्ठों की संख्या - 09

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ.....2
बैंकिंग नीतियाँ.....3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ.....4
पूंजी बाजार.....5
विनियामक के कथन.....5
आर्थिक संवेष्टन.....6
नई नियुक्ति.....6
विदेशी मुद्रा.....6
शब्दावली.....7
वित्तीय ज्ञान.....7
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां.....7
संस्थान समाचार.....7
बाजार की खबरें.....8
हरित पहल.....9

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 4 से 6 फरवरी 2026 तक हुई बैठक की मुख्य बातें

- रेपो दर 5.25% बनी रहेगी।
- स्थायी जमाराशि सुविधा (Standing Deposit Facility) दर को 5.00% बनाए रखा गया है।
- सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility) दर तथा बैंक दर 5.50% बनी रहेगी।

दुर्विक्रय पर प्रहार

वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को मूलभूत बैंकिंग कार्यकलापों-जमाराशियां जुटाने तथा ऋण प्रदान करने पर अपना ध्यान केंद्रित करने - तथा बीमा सहित अन्य पक्ष उत्पादों की आक्रामक बिक्री को तुरंत रोकने के अनुदेश दिए हैं। भारतीय न्याय संहिता के तहत दुर्विक्रय को अपराध बताया गया है।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर घोषणा की मुख्य बातें

- दुर्विक्रय को रोकने हेतु वित्तीय उत्पादों के विज्ञापन, विपणन और बिक्री पर विनियमित संस्थाओं को विस्तृत अनुदेश जारी किए जाएंगे।
- वसूली एजेंटों की नियुक्ति सहित ऋण वसूली के विभिन्न पहलुओं पर अनुदेशों की समीक्षा कर इन्हें एक रूप बनाया जाएगा।
- धोखाधड़ी वाले कम मूल्य के संव्यवहारों के मामले में क्षतिपूर्ति हेतु ढांचे पर अनुदेश जारी किए जाएंगे।
- वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रियल एस्टेट निवेश न्यासों (REITs) को विवेकपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों के साथ ऋण देने हेतु अनुमति का प्रस्ताव है।
- शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अप्रतिभूत ऋणों; नॉमिनल सदस्यों को कर्ज की राशि; तथा आवास ऋणों के लिए टेनर व ऋण स्थगन पर लागू वर्तमान विनियामक मानकों के विवेकीकरण का प्रस्ताव है।
- पात्र गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) जो सार्वजनिक निधि न लेती हों तथा जिनका ग्राहकों से सामना न होता हो (टाइप 1 एनबीएफसी सहित), को पंजीकरण से छूट देने का प्रस्ताव है।
- एनबीएफसी-निवेश तथा ऋण कंपनियों द्वारा शाखा खोलने के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता को हटा देना प्रस्तावित है।
- 'धोखाधड़ियाँ रोकने हेतु डिजिटल भुगतानों में सुरक्षात्मक उपाय' तलाश करने पर एक चर्चा पत्रक जारी किया जाएगा।
- अग्रणी बैंक योजना को अधिक कारगर बनाने हेतु इसमें संशोधन किया जाएगा।
- किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का दायरा बढ़ाने के लिए इसके दिशानिर्देश संशोधित किए जाएंगे।
- बैंकों द्वारा कारोबार प्रतिनिधि (Business Correspondent) नियोजित करने से संबंधित दिशानिर्देश संशोधित किए जाएंगे।
- सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों (Micro and Small Enterprises) को संपार्श्विक मुक्त ऋण की राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ा कर 20 लाख रुपए किया जाएगा ताकि औपचारिक ऋण हेतु उनकी पहुँच बेहतर हो और उनके उद्यम कार्यों को सहायता मिले।
- ऋण सूचकांकों तथा कॉर्पोरेट बांड पर कुल प्रतिफल स्वैप शुरू करने हेतु एक विनियामक ढांचे का प्रस्ताव है।
- विदेशी मुद्रा उत्पादों, जोखिम प्रबंधन तथा प्लेटफॉर्म के मामलों में अधिकृत डीलरों (Authorised Dealers) को अधिक स्वतंत्रता मिलेगी।
- स्वैच्छिक रिटेंशन मार्ग (वीआरआर) के तहत निवेशों को अब सामान्य मार्ग के अंतर्गत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक निवेश हेतु सीमा के अधीन गिना जाएगा। वीआरआर के अंतर्गत निवेश करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को परिचालन में कतिपय अतिरिक्त रियायतें मिलेंगी।

- शहरी सहकारी बैंकों के लिए सेक्टर व्यापी क्षमता निर्माण तथा सर्टिफिकेशन ढांचे - मिशन सक्षम (SAKSHAM) (सहकारी बैंक क्षमता निर्माण) का प्रस्ताव है।

जमाराशि बीमा: जोखिम आधारित प्रीमियम मॉडल, समान दर वाले प्रीमियम मॉडल की जगह लेगा

जमाराशि बीमा के लिए समान दर वाली प्रीमियम प्रणाली की जगह 1 अप्रैल 2026 से जोखिम आधारित प्रीमियम (आरबीपी) ढांचा लागू होगा। आरबीपी व्यवस्था में जोखिम निर्धारण के दो मॉडल - टियर 1 तथा टियर 2 होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक विंटेज प्रोत्साहन अर्थात जो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से बिना किसी बड़े संकट या दावा भुगतान के डीआईसीजीसी जमा बीमा निधि को दीर्घतर अंशदान दर्शाता है, को भी लागू किया है।

बहुल कार्यकलाप करने वाली आईएफएससी यूनिटें एकल पंजीकरण करा सकती हैं

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने आईएफएससीए (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियम के तहत बहुल पूंजी बाजार कार्यकलाप हेतु एकीकृत पंजीकरण पर परिपत्र जारी किया है ताकि व्यवसाय करने में अधिक सुविधा हो। इससे, आईएफएससी में बहुल पूंजी बाजार कार्यकलाप करने की इच्छुक संस्थाएं अलग-अलग पंजीकरण कराने की बजाय एकल एकीकृत पंजीकरण करा सकेंगी।

इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हेतु आईएफएससीए द्वारा विनियमों का मसौदा जारी

आईएफएससी के भीतर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) स्थापित तथा संचालित करने हेतु आईएफएससीए ने विनियमों का मसौदा जारी किया है। विनियमों के मसौदे में अधिकृत ईटीपी के लिए अपेक्षा की गई है कि वे ईटीपी के लिए वस्तुनिष्ठ एवं कानूनी रूप से बाध्यकारी परिचालन नियम लागू करें तथा ईटीपी के संचालन हेतु स्वस्थ जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करें।

एएमएल/केवाईसी/सीएफटी दिशानिर्देशों में आईएफएससीए के द्वारा संशोधन

धनशोधन निवारण, आतंकवाद को वित्तपोषण के विरोध तथा अपने ग्राहक को जानें (एएमएल/सीएफटी/केवाईसी) पर दिशानिर्देशों को आईएफएससीए के द्वारा संशोधित किया गया है। तदनुसार, विनियमित संस्थाएं, ग्राहक के साथ खाता आधारित संबंध शुरू होने से 10 दिनों के भीतर ग्राहक के केवाईसी अभिलेख को कैप्चर कर सीकेवाईसीआर पर अपलोड करेंगी। विनियमित संस्थाओं को उनके समक्ष धनशोधन एवं आतंकवाद को वित्तपोषण के जोखिम की पहचान व निर्धारण हेतु जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाना है।

एनपीएस वात्सल्य: सीआरए पेंशन निधियों के साथ अभिदाता की विशिष्ट जानकारी साझा करेंगे

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियां (सीआरए) अब एनपीएस वात्सल्य से संबंधित विशिष्ट अभिदाता जानकारी संबंधित पेंशन निधियों के साथ साझा करेंगी। निजता सुरक्षा उपायों, सुरक्षा मानकों, लेखापरीक्षा आवश्यकताओं तथा विनियामक निगरानी का पालन अनिवार्य होगा। इस परिपत्र में एनपीएस वात्सल्य योजना दिशानिर्देश, 2025 के अंतर्गत आस्ति आवंटन ढांचे को भी स्पष्ट किया गया है।

ईटीएफ निवेशों के लिए ईपीएफओ एकल पूल की योजना बना रहा है

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की योजना एक्सचेंज व्यापारित निधियों (ईटीएफ) में निवेश करने हेतु, अपनी सभी पाँच योजनाओं को एकल पूल में समन्वित करने तथा वर्तमान मासिक निवेश चक्र के स्थान पर वार्षिक निवेश अपनाने की है।

बैंकिंग नीतियाँ

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिग्रहण वित्तपोषण मानदंडों को अंतिम रूप

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिग्रहण के, बैंकों द्वारा वित्तपोषण हेतु अंतिम ढांचा जारी किया है जो केवल सामरिक तथा दीर्घकालिक निवेशों हेतु अनुमत है। तदनुसार, ओवरसीज सिंडिकेटेड अधिग्रहण के वित्तपोषण में बैंक की भागीदारी की उच्चतम सीमा 20% कर दी गई है। बैंक द्वारा निधियन, अधिग्रहण मूल्य के 75% तक सीमित रहेगा; अधिग्रहणकर्ता द्वारा न्यूनतम 25% इक्विटी/अपनी निधि अनिवार्यत: लगानी चाहिए। अधिग्रहण उपरांत कर्ज-इक्विटी अनुपात समेकित आधार पर अधिकतम 3:1 हो सकता है। ऋण को प्राप्त शेयरों/अनिवार्यत: परिवर्तनीय डिबेंचरों (सीसीडी) द्वारा अवश्य प्रतिभूत होना चाहिए, जिसमें अतिरिक्त संपार्श्विक अनुमत है। इक्विटी अंशदान हेतु पूरक वित्त की अनुमति है, जिसमें चुकौती 12 माह के भीतर करनी होगी।

एमएसई को बैंक 20 लाख रुपए तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण दें: भारतीय रिज़र्व बैंक

सूक्ष्म, लघु उद्यम क्षेत्र के ऋणी 1 अप्रैल 2026 से 20 लाख रुपए तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण हासिल कर सकते हैं। यह सुविधा खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा संचालित प्रधान मंत्री रोजगार सृजन योजना (पीएमईजीपी) अंतर्गत वित्तपोषित सभी इकाईयों को उपलब्ध होगी। यदि एमएसई का ट्रैक रिकॉर्ड तथा वित्तीय स्थिति उत्तम है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए विवेकाधिकार के अनुसार बैंक इस ऋण की राशि को बढ़ा कर 25 लाख रुपए तक कर सकते हैं।

बैंक का सीएमई पात्र पूंजी आधार के 40% से अधिक नहीं हो सकता: भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संकेन्द्रण जोखिम प्रबंधन निदेश, 2026 में स्पष्ट किया गया है कि पूंजी बाजार को एक बैंक के एक्सपोजर में निवेश एक्सपोजर एवं ऋण एक्सपोजर को शामिल कर, इसका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष एक्सपोजर (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित) दोनों शामिल है। एकल व समेकित दोनों आधार पर, किसी बैंक का सकल सीएमई बैंक के पात्र पूंजी आधार के 40% से अधिक नहीं हो सकता। परिपत्र में एक बैंक के उन एक्सपोजरों की सूची भी दी गई है जिन्हें सीएमई की गणना से बाहर रखा जाएगा।

ईसीएल अंतर्गत प्रावधान के निर्धारण हेतु एनबीएफसी द्वारा डीएलजी को शामिल किया जा सकता है

भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ-ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 के अध्याय III तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ-ऋण जोखिम का अंतरण और वितरण) निदेश, 2025 के भाग बी के अनुसार, एक एनबीएफसी सभी चरणों पर प्रत्याशित ऋण हानि हेतु प्रावधान के निर्धारण के लिए चूक हानि गारंटी (डीएलजी) पर विचार कर सकती है। ऐसा भारतीय लेखांकन मानकों (IndAS) के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अधीन किया जा सकता है जिसमें अपेक्षित है कि डीएलजी व्यवस्था ऋण की संविदात्मक शर्तों का अनिवार्य अंग हो और इसे अलग नहीं रखा जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ईसीबी ढांचे में बदलाव, कर्ज सीमाओं में संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) के ढांचे में बदलाव किए हैं। पात्र ऋणी तथा निर्दिष्ट ऋणदाता आधार का विस्तार कर, कर्ज सीमाओं व औसत परिपक्वता अवधि मानकों में संशोधन कर तथा ईसीबी हेतु कर्ज की लागत पर पाबन्दियाँ हटा कर, इन संशोधनों के द्वारा ईसीबी ढांचे को विवेकीकृत किया गया है। अंतिम उपयोग पर पाबंदियों की समीक्षा तथा रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का सरलीकरण भी किए गए संशोधनों में शामिल हैं।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

जोखिम भारित आस्तियों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने निदेशों में संशोधन

एक बैंक द्वारा अपने ग्राहक की ओर से स्टॉक एक्सचेंजों को अपरिवर्तनीय भुगतान प्रतिबद्धता, जो 100% के ऋण संपरिवर्तन गुणक (सीसीएफ) के साथ वित्तीय गारंटी है, का इश्यू बनाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने जोखिम भारित आस्तियों पर अपने निदेशों को संशोधित किया है। तथापि, पूंजी केवल पूंजी बाजार एक्सपोजर (सीएमई) के रूप में गिने गए एक्सपोजर पर बनाए रखी जाएगी तथा इस पर जोखिम भार 125% होगा।

ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा 'मानक अग्रिमों' पर निदेशों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक-आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) संशोधन निदेश, 2026 के अनुसार, मानक अग्रिमों के मामले में बैंक आय का निर्धारण, मेल खाता हुआ कोई प्रावधान करने की अपेक्षा के बगैर उपचय आधार पर करेंगे। यथा मानक न वर्गीकृत की गई ऋण सुविधाओं (सरकार द्वारा प्रत्याभूत सहित) के लिए आय का निर्धारण वास्तविक प्राप्ति अर्थात नकद आधार पर किया जाएगा।

एनबीएफसी पर विविध निदेशों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन

राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड (एनयूसीएफडीसी) को शर्तों के अधीन, अपने इक्विटी शेयरों को निजी प्लेसमेंट आधार पर, एक वित्त वर्ष में कुल 200 से अधिक व्यक्तियों को ऑफर करने, अभिदान करने हेतु आमंत्रित करने की अनुमति है। प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के संबंध में, एनयूसीएफडीसी सभी सांविधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

वीआरआर अंतर्गत निवेशों पर लागू विनियामक ढांचे में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन

पूर्वानुमान तथा कारोबार करने में सुविधा सुनिश्चित करने के लिए, स्वैच्छिक रिटेंशन मार्ग (वीआरआर) अंतर्गत निवेश सीमाओं को सामान्य मार्ग अंतर्गत एफपीआई निवेशों हेतु निवेश सीमा में शामिल किया जाएगा। यह वीआरआर के जरिए केंद्र सरकार प्रतिभूतियों (ट्रेजरी बिलों सहित), राज्य सरकार प्रतिभूतियों तथा कॉर्पोरेट कर्ज प्रतिभूतियों में सभी निवेशों के लिए लागू होगा। निर्देशों में निर्धारित न्यूनतम रिटेंशन अवधि से अधिक समय लेने वाले एफपीआई के पास उनके पोर्टफोलियो को परिसमाप्त करने (पूर्णत: या आंशिक) तथा न्यूनतम रिटेंशन अवधि की समाप्ति के बाद वीआरआर से बाहर निकलने का विकल्प होगा। ये निर्देश 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे।

पूंजी बाजार

सेबी ने सॉल्यूशन उन्मुख योजना वर्ग को बंद कर दिया है; नयी श्रेणियाँ जोड़ी हैं

सेबी ने सॉल्यूशन उन्मुख योजना वर्ग को बंद कर दिया है और नयी श्रेणियाँ नामत: कंट्रा निधियों व सेकटोरल कर्ज निधियां शुरू कर लक्ष्य आधारित जीवन चक्र निधियाँ जोड़ी हैं। योजनाएँ अपने नाम के अनुरूप (टू-टू-लेबल) रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए योजना का नाम श्रेणी के नाम जैसा ही होगा। शब्द/पदावली जो योजना के केवल प्रतिफल पक्ष को दर्शाती/पर ज़ोर देती हो, योजना के नाम में नहीं शामिल की जाएगी। म्यूचुअल फंड श्रेणीवार पोर्टफोलियो ओवरलैप स्तर का खुलासा करेंगे। इस खुलासे को एएमसी की वेबसाइट पर निवेशक संप्रेषण हेतु मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाएगा।

एमआईआई के कमोडिटी डेरिवेटिव खंड हेतु सेबी द्वारा कैपेसिटी मानदंड जारी

सेबी ने बाजार अवसंरचना संस्थाओं (एमआईआई) के कमोडिटी डेरिवेटिव खंड हेतु उनकी क्रिटिकल सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों तथा समर्थक घटकों की कैपेसिटी आयोजना एवं तत्क्षण निष्पादन निगरानी के संबंध में मानदंड जारी किए हैं। तदनुसार संस्थापित कैपेसिटी, सेगमेंट हेतु पूर्वानुमानित अधिकतम भार के न्यूनतम दो गुने पर रखी जानी चाहिए। यदि वास्तविक कैपेसिटी उपयोग संस्थापित कैपेसिटी के 75% से बढ़ जाता है तो एमआईआई द्वारा तुरंत कार्यवाही की जाएगी।

अन्य विनियामकों के अधीन सीआरए रेटिंग लिखतों के लिए सेबी द्वारा अधिक सख्त मानदंड लागू

उन मामलों में जहां एक ऋण रेटिंग एजेंसी (सीआरए) किसी अन्य वित्तीय क्षेत्र विनियामक (एफएसआर) या प्राधिकारी के दायरे में आने वाली लिखतों की रेटिंग करती है, उन्हें शिकायतों पर कार्यवाही तथा सेबी व अन्य प्राधिकारियों द्वारा विनियमित कार्यकलापों हेतु वेब प्रकटन के लिए अलग ई-मेल आईडी रखनी चाहिए। इसके साथ ऐसी सीआरए अपनी अर्धवार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अंग के रूप में एक वचनपत्र अनिवार्यत: प्रस्तुत करें।

स्टॉक ब्रोकर विनियमों में सेबी द्वारा संशोधन

सेबी ने 3 दशकों में पहली बार संशोधित स्टॉक ब्रोकर विनियम अधिसूचित किए हैं। इनमें स्टॉक ब्रोकरों को अन्य वित्तीय विनियामकों के ढांचे के तहत अतिरिक्त कार्यकलाप हाथ में लेने तथा सामायिक सलाह देने की अनुमति दी गई है। स्टॉक ब्रोकर अपने ब्रोकिंग ग्राहकों को केवल सामयिक सलाह दे सकते हैं जो ऐसी सलाह तक सीमित होगी जिस पर उक्त ग्राहक प्रतिभूतियाँ खरीदने, बेचने या रखे रहने के लिए वाजिब ढंग से भरोसा कर सकें। तथापि, उन्हें सेबी (निवेश सलाहकार) विनियमावली, 2013 के संबंधित प्रावधानों का पालन करना चाहिए।

विनियामक के कथन

भारतीय रिज़र्व बैंक की प्राथमिकता एमएसएमई को समय पर औपचारिक ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने की है: गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

चुनिंदा एमएसएमई तथा एमएसएमई संघों के साथ बैठक में बोलते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने ज़ोर दिया कि भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रतिबद्धता एमएसएमई को समय पर तथा पर्याप्त औपचारिक ऋण उपलब्ध कराने में सुधार लाने की है। दीर्घकालिक मजबूती तथा स्पर्धात्मकता हासिल करने हेतु एमएसएमई को फार्मलाइजेशन का पालन करना चाहिए, ऋण अनुशासन बनाए रखना चाहिए तथा डिजिटल भुगतान अपनाना चाहिए।

भारतीय अर्थव्यवस्था में मैक्रोइकोनामिक स्थिरता है: उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ के 14वें स्थापना दिवस व्याख्यान में बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की उप गवर्नर सुश्री पूनम गुप्ता ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था न केवल तेज गति से बढ़ रही है, बल्कि उच्चतर मैक्रोइकोनामिक स्थिरता भी दर्शा रही है। यह कई

आर्थिक परिणामों जो कम अंतर के भीतर स्थिरतर, और हासिल होते जा रहे हैं, से प्रदर्शित होता है। उच्च, स्थायी एवं तीव्र विकास तथा अधिक पूर्वानुमानित आर्थिक परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था की पहचान बन चुके हैं।

बैंकिंग में नैतिकता मूलभूत सुरक्षात्मक उपाय है: उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

वित्तीय प्रणाली के लिए बैंकिंग में नैतिकता को मूलभूत सुरक्षात्मक उपाय बताते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे ने कहा कि डिजिटल साधन ऐसे बने हों कि ग्राहकों के लिए स्पष्ट हो कि वे क्या कर रहे हैं, वे किस चीज की अनुमति दे रहे या नहीं दे रहे हैं। हालांकि ग्राहक केंद्रिकता को लेकर बड़ी-बड़ी बातें होती हैं; आम तौर पर स्पष्ट संप्रेषण, सटीक कार्यान्वयन तथा निष्पक्ष व्यवहार वे मूलभूत बातें हैं जो सर्वाधिक मायने रखती हैं।

आर्थिक संवेष्टन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मासिक आरबीआई बुलेटिन का फरवरी 2026 अंक जारी किया है। इसकी मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

- 2026-27 की पहली और दूसरी तिमाहियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति हेतु संशोधित दृष्टिकोण क्रमश: 4% तथा 4.2% है।
- वैश्विक कंपोजिट पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) जनवरी 2026 में बढ़कर 52.5 हो गया।
- कॉर्पोरेट बांड बाजार में अपेक्षाकृत सख्ती के फलस्वरूप जनवरी के द्वितीयार्ध से 17 फरवरी तक समग्र वित्तीय स्थिति में कुछ सख्ती देखी गई।
- जनवरी 2026 में, मर्चेंडाइज़ व्यापार घाटा बढ़ गया जो आयातों में तेज वृद्धि दर्शाता है।
- पर्याप्त चलनिधि के बूते पर, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत औसत निवल अवशोषण पूर्ववर्ती एक माह की अवधि से 16 जनवरी -17 फरवरी के बीच बढ़ गया।
- स्थिर आय खंड में, 19 जनवरी से 17 फरवरी के बीच, सरकारी प्रतिभूति पर प्रतिफल, वक्र के वृहत्तर छोर के इतर टर्म स्ट्रक्चर में घट गया।
- यथा सितंबर 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक का डिजिटल भुगतान सूचकांक सितंबर 2024 के 465.33 से बढ़कर 516.76 हो गया।

नई नियुक्ति

नाम	पदनाम
श्री उदय कोटक	अध्यक्ष, गिफ्ट सिटी

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा भंडार

मद	यथा 27 फरवरी 2026	
	करोड़ (₹)	मिलियन अमरीकी डॉलर
	1	2
1 कुल भंडार	6627548	728494
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	5214072	573125
1.2 स्वर्ण	1197517	131630
1.3 एसडीआर	171635	18866
1.4 आईएमएफ में रिज़र्व पोजीशन	44324	4873

विगत 6 माह में विदेशी मुद्रा भंडार (मिलियन अमरीकी डॉलर) में प्रवृत्तियाँ

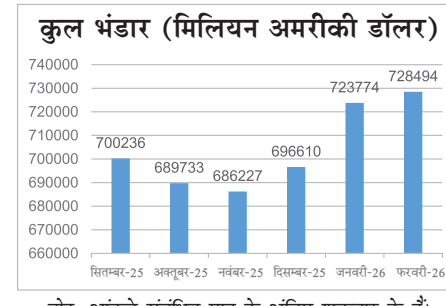

नोट: आंकड़े संबंधित माह के अंतिम शुक्रवार के हैं।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

यथा 27 फरवरी 2026 एफसीएनआर (बी) जमाराशियों हेतु वैकल्पिक संदर्भ दरों (एआरआर) की आधार दरें, मार्च 2026 माह हेतु लागू

एआरआर	एआरआर की आधार दरें (%)
SOFR (अमरीकी डॉलर)	3.67
SONIA (जीबीपी)	3.7276
STR (यूरो)	1.933
TONA (जापानी येन)	0.729
CORRA (कनाडाई डॉलर)	2.2800
AONIA (आस्ट्रेलियाई डॉलर)	3.85
SARON (स्विस फ्रैंक)	-0.063311

एआरआर	एआरआर की आधार दरें (%)
OCR (न्यूजीलैंड डॉलर)	2.25
SWESTR (स्वीडिस क्रोन)	1.635
SORA (सिंगापुर डॉलर)	1.0422
HONIA (हांगकांग डॉलर)	2.01218
MYOR (म्यांमार रुपया)	2.75
DESTR (डैनिश क्रोन)	1.5210

स्रोत: www.fbil.org.in

शब्दावली

अधिग्रहण वित्त (Acquisition Finance)

अधिग्रहण वित्त का अर्थ एक पात्र ऋणी संस्था को एक लक्ष्य कंपनी या इसकी नियंत्रक कंपनी में इक्विटी शेयर अथवा अनिवार्यत: परिवर्तनीय डिबेंचर हासिल करने के उद्देश्य हेतु प्रदत्त वित्तीय सुविधा अथवा सहायता से है जिसके परिणाम स्वरूप ऋणी संस्था का लक्ष्य कंपनी पर नियंत्रण हो जाए।

वित्तीय ज्ञान

अंशदान मार्जिन (Contribution Margin)

अंशदान मार्जिन प्रत्येक उत्पाद/यूनिट की बिक्री से फर्म की लागत का परिवर्तनीय हिस्सा घटाने के बाद प्राप्त वृद्धिशील आय को व्यक्त करता है। इसे प्रति इकाई विक्रय मूल्य से प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत को घटा कर परिकलित किया जा सकता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

मार्च 2026 माह हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथि	स्थान
ऋण समयचक्र-ऋण निगरानी, अनुवर्ती कार्यवाही तथा वसूली प्रबंधन की मास्टरिंग पर कार्यक्रम	10-11 मार्च, 2026	वर्चुअल
सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा के लिए परीक्षोत्तर प्रशिक्षण	10-12 मार्च, 2026	
वसूली रणनीतियाँ: गैर-कानूनी और कानूनी पर कार्यक्रम	12-13 मार्च, 2026	
डिजिटल बैंकिंग ग्राहक अनुभव - विपणन और ग्राहक सहभागिता के लिए सफल रणनीतियाँ पर कार्यक्रम	12-13 मार्च, 2026	
प्रमाणित बैंकिंग अनुपालन पेशेवर के लिए परीक्षोत्तर प्रशिक्षण	16-18 मार्च, 2026	

संस्थान समाचार

आईआईबीएफ द्वारा डायमंड जुबली और सीएच भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप (डीजेसीएचबीबीओआरएफ) 2025-26 के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित

आईआईबीएफ ने डायमंड जुबली और सीएच भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप (डीजेसीएचबीबीओआरएफ) 2025-26 के

अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा कर 31 मार्च 2026 कर दी गई है। अधिक विवरण के लिए कृपया www.iibf.org.in देखें।

आगामी अंक हेतु बैंक क्वेस्ट का विषय

जनवरी-मार्च 2026 तिमाही हेतु बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक का विषय है - 'भुगतान प्रणालियों की नई राहें'। उप-विषय हैं-यूपीआई, यूएलआई, सीबीडीसी-चुनौतियाँ, अवसर तथा संभावनाएं, साइबर सुरक्षा।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फायनेंस के न्यूज़लेटर आईआईबीएफ विजन के स्वामित्व संबंधी तथा अन्य विवरण

1. प्रकाशन स्थल	:	मुंबई
2. प्रकाशन की आवर्तिता	:	मासिक
3. प्रकाशक का नाम	:	श्री दीपक कुमार लल्ला
राष्ट्रीयता	:	भारतीय
पता	:	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फायनेंस, कोहिनूर सिटी, कमर्शियल- II, टावर-1, किरोल रोड, कुर्ला (प) मुंबई- 400 070
4. संपादक का नाम	:	श्री दीपक कुमार लल्ला
राष्ट्रीयता	:	भारतीय
पता	:	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फायनेंस, कोहिनूर सिटी, कमर्शियल- II, टावर-1, किरोल रोड, कुर्ला (प) मुंबई- 400 070
5. मुद्रक प्रेस का नाम	:	प्रिंट्रेड इशूज (इंडिया) प्रा.लि., 17, प्रगति इंडस्ट्रियल एस्टेट, 316, एन. एम. जोशी मार्ग, मुंबई- 400 011
6. स्वामी का नाम और पता	:	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फायनेंस, कोहिनूर सिटी, कमर्शियल- II, टावर-1, किरोल रोड, कुर्ला (प) मुंबई- 400 070

मैं, दीपक कुमार लल्ला, एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

दीपक कुमार लल्ला
31.03.2026 प्रकाशक के हस्ताक्षर

बाजार की खबरें

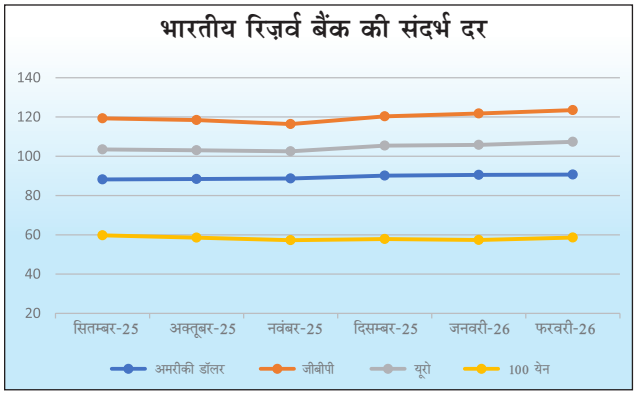

स्रोत: एफबीआईएल

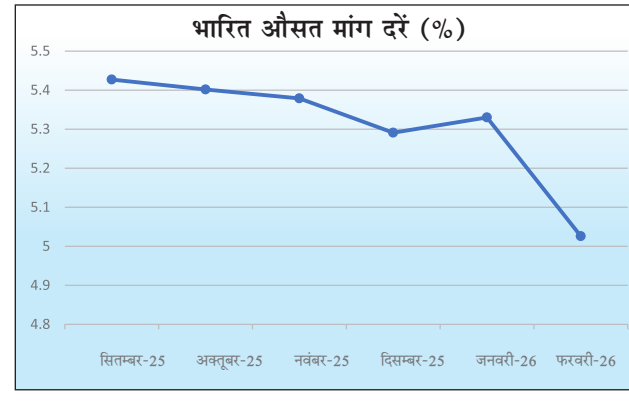

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

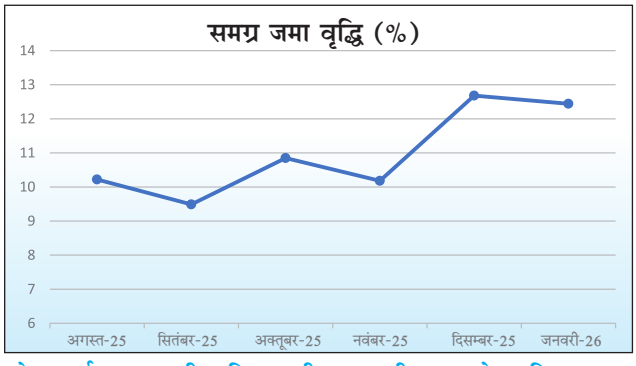

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जनवरी 2025

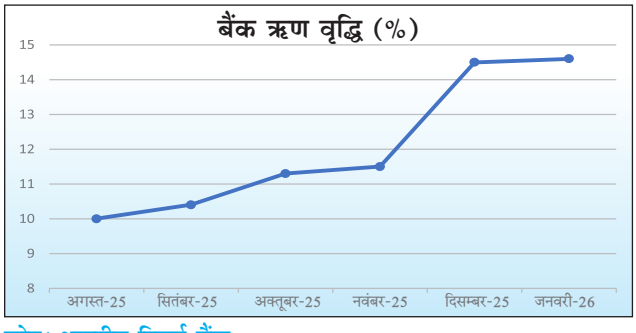

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

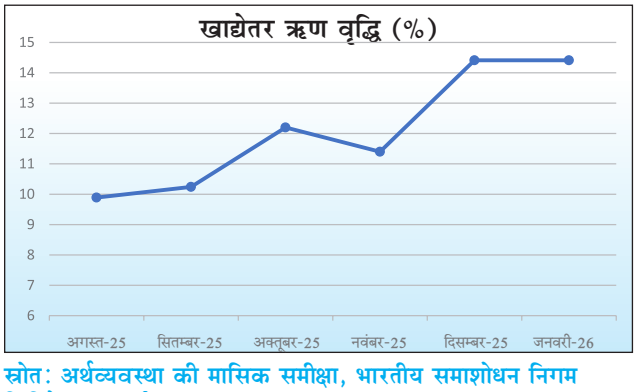

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जनवरी 2025

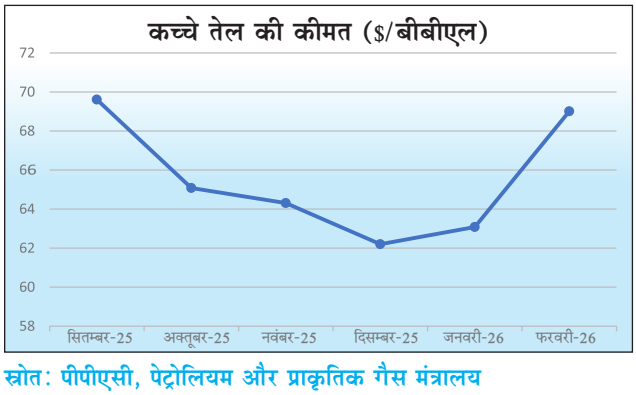

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

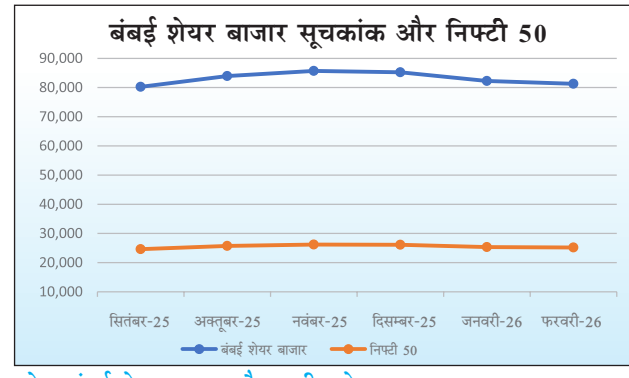

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

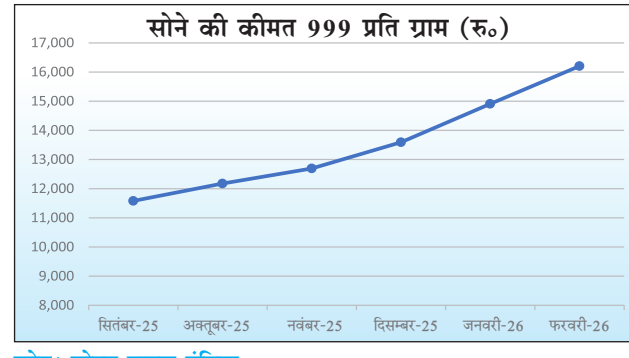

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

परीक्षाओं हेतु महत्त्वपूर्ण घटनाओं के संबंध में कट-ऑफ तिथि

संस्थान की यह प्रथा है कि प्रत्येक परीक्षा में नियामक द्वारा जारी किए गए हालिया घटनाक्रमों/दिशानिर्देशों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि यह जांचा जा सके कि उम्मीदवार वर्तमान घटनाक्रमों से अवगत हैं या नहीं। हालांकि, प्रश्न पत्र तैयार होने की तिथि और वास्तविक परीक्षा की तिथि के बीच घटनाक्रमों/दिशानिर्देशों में परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि: (i) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष के मार्च से अगस्त की अवधि में आयोजित परीक्षाओं में, विनियामक (कों) द्वारा केवल 31 दिसंबर तक जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग और वित्त जगत की केवल इस तिथि तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य हेतु लिया जाएगा (ii) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष के सितंबर से फरवरी की अवधि में आयोजित परीक्षाओं में, विनियामक (कों) द्वारा केवल 30 जून तक जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग और वित्त जगत की केवल इस तिथि तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य हेतु लिया जाएगा।

हरित पहल

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान को दिया गया अपना ई–मेल पता अद्यतन करा लें तथा वार्षिक प्रतिवेदन ई-मेल से पाने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

Printed by Deepak Kumar Lalla, **Published by** Deepak Kumar Lalla, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Printrade Issues (I) Pvt. Ltd., 17, Pragati Ind. Estate, 316, N.M. Joshi Marg, Mumbai - 400011 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Deepak Kumar Lalla

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W),
Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in